मनी/ प्रकरण / 3574 / 2016

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–भिण्ड

कमलेश शर्मा पुत्र श्री केदारप्रसाद
निवासी– बरथरा, तहसील गोहद,
जिला – भिण्ड (म.प्र.) —— आवेदक

विरूद्ध

1. जीवाराम पुत्र श्री रामदयाल,
2. कालीचरन पुत्र श्री केदारप्रसाद
निवासीगण– बरथरा, तहसील
गोहद, जिला – भिण्ड (म.प्र.)
—— अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार गोहद, जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 01 /2013–14/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार गोहद, जिला भिण्ड के समक्ष भूमि सर्वे क्र. 1204 रकवा 0.31 है0 स्थित ग्राम बरथरा के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया, जबकि वह प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार थे, ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य ही नहीं था।
2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोहद द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिस पर अनावेदक क्रमांक 2 कालीचरन द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि उन्हें सीमांकन कार्यवाही के समय राजस्व निरीक्षक द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी है, जबकि वह पड़ोसी कास्तकार हैं और ना ही ऐसी कोई सूचना आवेदक को भी दी गयी है। ऐसी स्थिति में सीमांकन की कार्यवाही राजस्व निरीक्षक वृत्त गोहद से न कराकर राजस्व निरीक्षक वृत्त एण्डोरी से कराया जाये। आपत्ति के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त गोहद, राजस्व निरीक्षक वृत्त देहगांव तथा पटवारी मौजा रामशंकर दोहरे को सीमांकन कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया, किन्तु दल प्रभारी द्वारा सीमांकन कार्य नहीं किया गया और सीमांकन दल ने अपना

(601)

XXIX(a)-BR(H)-11

(1)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3574-एक/16 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18.	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	